संख्या-31/2019/872/46-1-19-1000(56)/2014

प्रेषक,

कमल किशोर गुप्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 28 जून, 2019

विषय- कृषि विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत हाईक्वाल्टी शुगरकेन शीड प्रोडेक्शन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के लिए अवमुक्त धनराशि रु. 108.67 लाख व्यय/उपयोग की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-28/2019/692/46-1-19-1000(56) /2014, दिनांक 17 जून, 2019 के अनुक्रम में अपने पत्र संख्या-कैं./153/रा.कृ.वि. योजना/विकास/18-19, दिनांक 26.06.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 17 जून, 2019 द्वारा जनपद शामली को स्वीकृत धनराशि जिला गन्ना अधिकारी गाजियाबाद के स्थान पर जिला गन्ना अधिकारी मुजफ्फरनगर द्वारा आहरित कर जनपद शामली को उपलब्ध कराई जायेगी तथा तद्नुसार संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 17-06-2019 के संलग्न के तलांश में अंकित नोट में गाजियाबाद के स्थान पर मुजफ्फरनगर पढ़ा जाय। उक्त शासनादेश दिनांक 17-06-2019 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शेष प्रतिबन्ध/शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-31/2019/872(I)46-1-19-1000(56)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग उ.प्र. शासन।
2. अपर गन्ना आयुक्त(विकास)/वित्त नियन्त्रक, गन्ना आयुक्त कार्यालय, उ.प्र.।
3. निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र., लखनऊ।
4. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद शाहजहॉपुर।
5. समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ.प्र.।
6. समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ.प्र.।
7. विशेष सचिव, कृषि अनुभाग-3, उ.प्र. शासन।
8. समस्त जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ.प्र.।
10. नोडल अधिकारी(आर.के.वी.वाई.), उ.प्र. कृषि भवन लखनऊ।
11. नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2
12. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।